बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक: यो0ब02/1–17/2018– 07 आवंटन/यो0वि0,पटना,दिनांक 18 जनवरी, 2019

प्रेषक,

राजेश्वर प्रसाद सिंह,
सरकार का अपर सचिव

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
(स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, मुख्य अभियंता का कार्यालय),
चतुर्थ तल, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना।

विषय: **वित्तीय वर्ष 2018–19 में विपत्र को–35–2052000900010 के अधीन ₹4,01,000/– (चार लाख एक हजार रूपये) मात्र का अतिरिक्त राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वितीय वर्ष 2018–19 के लिए वित्त विभाग के पत्रांक–354 दिनांक 28.03.2018 बिहार विनियोग (संख्या–2) अधिनियम 2018 पर महामहिम राज्यपाल ने दिनांक 28.03.2018 को स्वीकृति की सूचना के अनुसार पहली अप्रैल से 31 मार्च, 2019 तक बजट से प्रावधानित राशि की स्वीकृति दी गयी है।

2. तदनुसार उपर्युक्त के आलोक में मुख्य शीर्ष 2052– सचिवालय सामान्य सेवायें, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–090–सचिवालय, उप शीर्ष–0010 योजना एवं विकास विभाग, मांग संख्या–35, विपत्र कोड **35–2052000900010** के अधीन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में 1303–दूरभाष मद में 1,000/–(एक हजार रूपये) तथा 2802–संविदा सेवाऍ मद में ₹4,00,000/–(चार लाख रूपये) अर्थात कुल ₹4,01,000/– (चार लाख एक हजार रूपये) मात्र का अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, (आहरण एवं व्यय पदाधिकारी) स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4. आवंटन में मुख्य शीर्ष से लेकर व्यय के विषय शीर्ष तक कोड नं0 अंकित कर दिया गया है; अतएव निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जो भी विपत्र कोषागार में प्रस्तुत करते हैं उस पर कोड नं0 अनिवार्य रुप से अंकित करेंगे।

5. प्रत्येक परिस्थिति में मदवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखा जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. आवंटित की जा रही राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 131(ग) एवं अन्य अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

7. 28–02 संविदा सेवाए मद में आवंटित राशि से संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को सेवा अवधि विस्तार प्राप्त करने के पश्चात ही नियमानुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक बजट शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित जाय ताकि उसका नियमित संधारण संभव हो सके अन्यथा आपका अगला आवंटन रोक दिया जाएगा।

विश्वासभाजन

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)
सरकार का अपर सचिव

ज्ञापांकः योऽब02/1–17/2018–07 आवं0/यो0वि0,पटना,दिनांक 18 जनवरी, 2019
प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार का अपर सचिव

ज्ञापांकः यो0ब02/1–17/2018–07 आवं0/यो0वि0,पटना,दिनांक 18 जनवरी, 2019
प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार का अपर सचिव

ज्ञापांकः यो0ब02/1–17/2018–07 आवं0/यो0वि0,पटना,दिनांक 18 जनवरी, 2019
प्रतिलिपिः वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, मुख्य अभियंता का कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन को विभाग के साईट पर अपलोड कर दें।

सरकार का अपर सचिव
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना